प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 26 सितम्बर, 2023 को आयोजित उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यकारी समिति की दशम बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :–

1. डॉ0 धनन्जय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. श्री कपिल लाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं (नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण) उत्तराखण्ड ।
3. श्री आर0के0 मिश्र, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
4. डा0 विवेक पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक, शोध, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. श्री शिव स्वरूप त्रिपाठी, उप सचिव, प्रतिनिधि–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री राज कुमार, संयुक्त निदेशक, रा0यो0आ0, प्रतिनिधि–अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री ए0के0 राजपूत, उपायुक्त, ग्राम्य विकास, प्रतिनिधि–अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्रीमती विमला धपवाल, अनु सचिव, पंयाचती राज, प्रतिनिधि–अपर सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री मो0 ओबेदुल्लाह अंसारी, अनु सचिव, प्रतिनिधि–अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. श्री जी0एस0 पाण्डे, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्री :–

1. श्री नीतीशमणी त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।

सर्वप्रथम अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति की दशम बैठक को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आरम्भ करते हुए सभी सदस्यों/प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कैम्पा के संबंध में संक्षिप्त जानकारी सहित मुख्य एजेन्डा बिन्दुओं से समिति को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् निम्न एजेन्डावार बैठक की कार्यवाही आरंभ की गईः –

कार्यसूची 10.1: कार्यकारी समिति की दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को आयोजित नवम् बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में जारी कार्यवृत्त के अनुपालन की पुष्टि।

मुख्य कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को आयोजित कार्यकारी समिति की नवम् बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुपालन संबंधी निम्न मुख्य बिन्दुओं से समिति को अवगत कराया गयाः–

- E-green Watch की स्थितिः– E-green Watch में FSI, GoI द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को समिति के साथ साझा किया गया। इसके अनुसार मई, 2023 तक उत्तराखण्ड द्वारा लगभग 13155 पॉलिगन अपलोड किये गये थे, जिसमें FSI द्वारा किये गये परीक्षण में 3887 पॉलिगन सही पाये गये। पोर्टल पर पॉलीगन अपलोड किये जाने के संबंध में उत्तराखण्ड का स्थान क्रमशः उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश के उपरांत तीसरा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार उत्तराखण्ड द्वारा 14959 से अधिक पॉलिगन अपलोड किये जा चुके हैं।
- मॉनिटरिंग की स्थितिः समिति के समक्ष वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक CA, CAT Plan व NPV की विभिन्न गतिविधियों की आंतरिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- समिति को वर्तमान में संचालित विभिन्न कैट प्लान (11 संख्या) के अंतर्गत संपादित किये गये/किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही इसमें से 06 कैट प्लान की अवधि वर्ष 2023–24 में समाप्त होने के संबंध में भी अवगत कराया गया। इसी आधार पर वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना में समाप्त हो रहे कैट प्लानों के अंतर्गत धनराशि का प्राविधान किया गया है। समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची 10.2: वर्ष 2023–24 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति, बजट आवंटन व प्रगति की समीक्षा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि संचालन समिति के अनुमोदन से कुल रू0 423.46 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रेषित की गई थी, जिसके सापेक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा दो चरणों में (03 जुलाई 2023 तथा 20 सितम्बर, 2023 को) वर्तमान तक रू0 364.08 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा उक्त स्वीकृति के सापेक्ष रू0 262.74 करोड़ का बजट अवमुक्त किया गया है। उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 78.65 करोड़ की धनराशि संबंधित प्रभागों को उनके डी0डी0ओ0 कोड के माध्यम से आवंटित की गई है।

बजट आवंटन के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में मुख्यतः वृक्षारोपण सहित विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने हेतु स्वीकृत वित्तीय लच्यों के सापेक्ष 50% की आवंटित की गई है। शेष 50% धनराशि, कार्य की प्रगति व MIS प्रविष्टि के उपरांत आवंटित की जायेगी। इस प्रकार वर्तमान तक लगभग ₹150.00 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि आवंटित/बचनबद्ध है। शेष गतिविधियों के कियांवयन हेतु आवंटन संबंधी कार्यवाही गतिमान है। कियान्वयन इकाईयों द्वारा बैठक की तिथि तक आवंटन के सापेक्ष ₹6.85 करोड़ का व्यय किया गया है। समिति उक्त से अवगत हुई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को यह भी अवगत कराया गया कि प्रथम बार वर्ष 2023–24 से कैम्पा द्वारा संचालित MIS को ट्रेजरी द्वारा संचालित IFMS के साथ Integrate किया गया है, जिससे प्रभागों के व्यय की Real time basis पर प्रगति प्राप्त हो रही है। अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त कियान्वयन इकाईयों को निर्देशित किया गया कि IFMS के अनुसार प्राप्त व्यय की प्रगति तद्नुसार Individual गतिविधिवार/प्रभागवार भी MIS में प्रविष्टि पूर्ण की जाये, जिससे भौतिक उपलब्धि भी व्यय के अनुसार ही परिलक्षित हो सके। उक्त के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये।

कार्यसूची 10.3: वर्ष 2023–24 हेतु अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना व अनुपूरक बजट।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष वर्ष 2023–24 की स्वीकृत कार्ययोजना के अतिरिक्त कतिपय गतिविधियों/कार्यों हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रेषित किये जाने वाली हेतु प्रस्तावित ₹28.90 करोड की अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के संबंध में अवगत कराया गया, जिसमें निम्न प्रस्ताव सम्मिलित हैं: –

CAMPA Head	Name of Activity	Amount (₹Crore)	Details / Remarks
Other Specified Works	Eco-restoration Project	7.90	Eco-restoration project (NHAI) as per direction of oversight committee. Details in Agenda 10.8
NPV	Soil and Moisture Conservation works as per DTR	15.00	Total 354 DTRs of SMC Works got prepared through DFOs/IAs in the year 2022-23 for implementation of which additional approximately Rs 21.00 Cr is required. So far National Campa, GoI has approved Rs 21.00 Cr for these activities.

	Maintenance of Forest Roads	5.00	Additional demand under NPV for Maint. of Forest roads / Bridle path damaged due to heavy rainfall in the State.
	Information & Communication Technology	1.00	Additional demand under NPV for ICT for database management of CA and other information at Range level.
Total		**28.90**	

समिति द्वारा उक्त प्रस्तावों को संचालन समिति के अनुमोदन से राष्ट्रीय प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उक्त के अतिरिक्त समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2023–24 हेतु आरंभ में ₹325.24 करोड़ का आय–व्ययक स्वीकृत हुआ था। तदोपरांत ₹99.23 करोड़ का अनुपूरक बजट अतिरिक्त रूप से स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार वर्ष 2023–24 के अंतर्गत कैम्पा हेतु कुल ₹424.77 करोड़ का बजट शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। कार्यकारी समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची 10.4: वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत कतिपय मदों में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अंतर्गत लक्ष्यों में आंशिक संशोधन के साथ कतिपय मदों में किये गये प्रभागवार आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति।

समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत संचालन समिति के अनुमोदन से राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष कतिपय मदों में कम की स्वीकृति प्राप्त होने, संशोधित वित्तीय लक्ष्यों व अध्यक्ष, कार्यकारी समिति स्तर पर कियान्वयन की दृष्टि से समीक्षा के दृष्टिगत प्रभागों के द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों के सापेक्ष संशोधित लक्ष्यों की धनराशि का आवंटन किया गया, जिसका विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा रू0 33.72 करोड़ के प्रस्ताव के सापेक्ष ₹28.72 करोड़ के अनुमोदन, जिसके अन्तर्गत जल स्रोतों/धाराओं की DTR तैयार करना सम्मिलित था, के वित्तीय वर्ष 2023–24 में कियान्वयन इस किया जाना है, तथा प्रस्तावित लक्ष्यों के सापेक्ष संशोधित लक्ष्यों की धनराशि का आवंटन के फलस्वरूप लक्ष्यों में हुए आंशिक संशोधन के अनुसार व स्वीकृति के अंतर्गत आवंटन किया गया।

वनाग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन मद में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ₹12.29 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹5.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके फलस्वरूप तदनुसार वनाग्नि हेतु संवेदनशीलता के दृष्टिगत आंशिक रूप से संशोधित लक्ष्यों का आवंटन किया गया।

एंटी पोचिंग गतिविधियों में कियान्वयन इकाईयों के स्तर से वास्तविक आवश्यकता आधारित ₹2.00 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अतः राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्वीकृति रू0 2.40 करोड़ में से वास्तविक आवश्यकता के आधार पर धनराशि का आवंटन किया गया।

वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत ₹11.58 करोड़ के प्रस्तावों के सापेक्ष राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा ₹6.00 करोड़ की धनराशि ही स्वीकृत की गई, जिससे प्रभागों के लक्ष्यों को तद्नुसार आंशिक रूप से संशोधन कर आवंटित किया गया।

पौधशाला विकास के अंतर्गत ₹4.56 करोड़ की स्वीकृति के सापेक्ष प्रभागों से प्राप्त रू0 3.18 करोड़ के संशोधित लक्ष्यों, जिसमें पौधशालाओं के स्थलों सहित विस्तृत प्रस्तावों के आधार पर धनराशि का आवंटन किया गया।

प्रचार एवं प्रसार मद में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कुल ₹2.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति के कम में विभिन्न प्रभागों, मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार, उत्तराखण्ड एवं प्रबंध निदेशक, ईको–टूरिज्म कॉरपोरेशन से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वन व वन्यजीव संरक्षण व संवर्धन, वनाग्नि सुरक्षा आदि संबंधी जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के साईनबोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, LED आदि स्थापित किये जाने लक्ष्यों का आवंटन किया गया।

समिति उपरोक्त से अवगत हुई तथा उपरोक्तानुसार संशोधित लक्ष्यों के आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची 10.5: वर्ष 2022–23 में उत्तराखण्ड कैम्पा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत उपलब्धि एवं उत्तराखण्ड कैम्पा प्रबंधन संबंधी व्यय।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2022–23 में प्राप्त लक्ष्यों के संबंध में समिति के समक्ष विस्तृत रूप से Geo-tagged photographs सहित प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें मुख्य गतिविधियों यथा वृक्षारोपण, पौधशालाएं, मृदा एवं जल संरक्षण, वनाग्नि सुरक्षा, लैंटाना उन्मूलन, चौकियां निर्माण, वन मार्गों का रखरखाव, बुग्यालों का संरक्षण, रखरखाव कार्य आदि कार्यों में प्राप्त उपलब्धियां सम्मिलित हैं। वर्ष 2022–23 में स्वीकृत ₹320.15 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष ₹257.42 करोड़ की धनराशि प्रभागों को आवंटित की गई। कैम्पा के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल ₹229.72 करोड़ का व्यय निम्नानुसार परिलक्षित है: –

Amount in ₹Crore

Compensatory Afforestation (CA)	CAT Plan	IWLMP	Other 'Specified' Works	Net Present Value (NPV)	Accrued Interest (CAMPA Management+ incremental cost of CA/Cat etc.)	Total
39.48	31.90	-	10.85	141.50	5.99	229.72

राज्य कैम्पा प्रबंधन के अंतर्गत अर्जित ब्याज मद में वेतन, भत्तों व अन्य संचालन व्यय सहित कुल ₹1.44 करोड़ के व्यय का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची 10.6: कैम्पा निधि की वर्तमान /अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

समिति को उत्तराखण्ड में उपलब्ध वर्तमान कैम्पा निधि की अद्यतन स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया:–

(₹करोड़ में)

(क)	31.08.2023 तक कैम्पा निधि में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि –	2794.09
(ख)	उत्तराखण्ड शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि	777.54
(ग)	उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा निधि में ब्याज सहित कुल जमा की गई अव्ययित धनराशि	571.57
(घ)	दिनांक 31.08.2023 को कुल उपलब्ध कैम्पा निधि	2588.22
(ड़)	वर्ष 2022–23 के अंतर्गत CAF Fund पर प्राप्त होने वाली अर्जित ब्याज की धनराशि –	96.57
(च)	वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सापेक्ष वर्ष 2022–23 तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अपेक्षित धनराशि –	368.87
(छ)	कैम्पा निधि में कुल उपलब्ध/संभावित धनराशि –	3053.56

समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची 10.7: वर्ष 2022–23 के अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण/स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट के तहत् प्रभाग स्तर पर तैयार DTR का मृदा एवं जल संरक्षण की विभिन्न जल धाराओं के चयन हेतु निर्धारित Criteria अनुसार परीक्षण करते हुए संशोधित DTR तैयार कराया जाना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2023–24 हेतु मृदा एवं जल संरक्षण/स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट के तहत् अग्रिम मृदा कार्यों हेतु, जलस्रोत/जल धाराओं के उपचार हेतु प्रभागों द्वारा 354 डी0टी0आर0 तैयार कर उपलब्ध कराई गई हैं। प्राप्त डी0टी0आर0 के अध्ययन/अवलोकन में पाया गया कि इनमें काफी

variations हैं। दिनांक 14.09.2023 को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों में एकरूपता के दृष्टिगत, Spring/Stream चयन संबंधी criteria को बैठक में VC के माध्यम से उपस्थित समस्त अधिकारियों के साथ साझा किया गया, जिसमें उपचार हेतु जल धारा के चयन सम्बन्धी तराई क्षेत्रों में अवस्थिति प्रभागों को छोड़कर, अन्य प्रभागों हेतु निम्न Broad मानक निर्धारित किए गये हैं :–

Criteria for Selection of Stream

- Selection should follow watershed approach
- Availability of perennial streams of not less than 3rd order.
- Streams either flowing through Forests or is adjacent to the forest
- Forests preferably should be in Chir-pine forest
- Possibility of construction of Jal Kund/ RCC check dams at a point from where collected water could be passed to Forest area.

Criteria for Project Cost and Model Structure

- Gulley pugs - up to 40 no. at the top of streams of order 1.
- Pirul / RR dry check dams - up to 30 to 35 No. at the lower
- part of streams of order 1 or at the upper part of streams of order 2.
- Crate wire Check dams -8 to 10 No. at the lower part of streams of order 2 or at the upper/ middle portion of streams of order 3.
- Chal Khal - 30 to 35 no. at the appropriate sites in the catchment area of the Streams under treatment.
- Jal Kund or RCC check dams - 2 to 3 no. at appropriate sites.

Note: These are broad guidelines and DTRs will be prepared site-specific

समिति उक्त से अवगत हुई एवं समिति द्वारा उक्त criteria अनुसार कियान्वयन किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

कार्यसूची 10.8: मेरठ–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के अंतर्गत ईको–रेस्टोरेशन प्लान (Eco-restoration Project) के कियान्वयन को वार्षिक कार्ययोजना 2023–24 में सम्मिलित किया जाना।

उक्त के संबंध में बैठक में उपस्थित प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा समिति के समक्ष ईको रीस्टोरेशन कार्य का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के अंतर्गत गणेशपुर–आशरोड़ी के मध्य फोरलेन मार्ग के निर्माण से स्थानीय पर्यावरण को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति के लिये उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखण्ड के क्षेत्रों में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों से गठित Oversight Committee द्वारा उत्तराखण्ड में प्लान के कियान्वयन हेतु तीन वर्षों हेतु ₹12.59 करोड़ की योजना अनुमोदित की गई है। इसमें ₹3.74 करोड़ की धनराशि NHAI से तथा 8.84 करोड़ की धनराशि, जो कि उत्तरप्रदेश कैम्पा को NHAI द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण के सापेक्ष जमा की गई है, में से उत्तर प्रदेश कैम्पा से प्राप्त होनी है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा वर्ष 2023–24 के अंतर्गत प्रथम वर्ष हेतु ₹7.90 करोड़ की गतिविधियों के कियान्वयन हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

उक्त के आधार पर ₹7.90 करोड़ की अतिरिक्त/अनुपूरक मांग संचालन समिति के अनुमोदन उपरांत राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार को प्रेषित की जानी है। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संचालन समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान की गई।

कार्यसूची 10.9: तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रगति।

कैम्पा अधिनियम, 2016 तथा कैम्पा नियमावली, 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत कैम्पा के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों का अनिवार्य रूप से तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जाना है। वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड कैम्पा की स्थापना से लेकर वर्ष 2016–17 तक कियान्वित गतिविधियों का तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभिन्न स्वतंत्र विशेषज्ञों तथा संस्थाओं के माध्यम से कराया गया है जिनमें वन अनुसंधान

संस्थान (FRI), देहरादून द्वारा प्रमुख रूप से वर्ष 2018 से 2020 के मध्य तृतीय पक्ष अनुश्रवण कार्य पूर्ण कर वर्ष 2021 में रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। उक्त रिपोर्ट भारत सरकार सहित सभी संबंधित वन प्रभागों व उनके नियंत्रक अधिकारियों को अनुश्रवण टीम द्वारा उजागर बिन्दुओं पर Action Taken Report प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की गई हैं। उक्त रिपोर्ट पूर्व बैठक में भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। कतिपय प्रभागों को छोड़ कर अन्य प्रभागों के स्तर से अनुपालन आख्या वर्तमान में अपेक्षित है।

वर्ष 2017–18 से लेकर वर्ष 2020–21 के मध्य कैम्पा निधि से कियान्वित कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वर्ष 2020–21 में खुली स्पर्धा के माध्यम से RFP के प्रकाशन द्वारा अर्ह संस्था(ओं) के चयन का प्रयास किया गया किन्तु तत्समय कोविड नियमों के लागू होने के कारण केवल एक ही निविदा प्राप्त हुई, जिसे निरस्त किया गया। इसी क्रम में वन अनुसंधान संस्थान से भी उक्त अवधि के लिये प्रस्ताव मांगा गया था, किन्तु प्रस्ताव की धनराशि अत्यधिक होने के कारण अन्य विकल्पों पर विचार किया गया।

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन में प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 13 संस्थाएं सूचीबद्ध हैं जिनमें से अर्ह संस्था का न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर चयन किये जाने का प्रयास किया गया। इसके लिये समस्त संबंधित संस्थाओं को वित्तीय प्रस्ताव आधारित ToR प्रेषित किये गये। प्रस्तावों को प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अंतिम तिथि को corrigendum के माध्यम से समय अवधि बढ़ाई गयी किन्तु पुनः निर्धारित तिथि तक मात्र 02 प्रस्ताव ही प्राप्त होने की दशा में उक्त प्रकिया को मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया।

समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ केन्द्रीय संस्थान के माध्यम से तृतीय पक्ष अनुश्रवण कराए जाने पर विचार किया गया। इस क्रम में चर्चा के उपरान्त भारत सरकार की प्रीमियर संस्था Indian Institute of Forest Management (IIFM), भोपाल, के माध्यम से तृतीय पक्ष अनुश्रवण कराए जाने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इससे पूर्व Terms of Reference (ToR) की तैयारी तथा अनुश्रवण हेतु आवश्यक संभावित धनराशि का आंकलन कर लिया जाये तथा संस्थान से उक्त के आधार पर Third Party Monitoring हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया जाये।

कार्यसूची 10.10: वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 का अनुमोदन।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि गत वर्षों की भांति उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसको समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची 10.11: ऑडिट एवं लेखा की वर्तमान स्थिति।

लेखा प्रमाणीकरण ऑडिट (Certification Audit) के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 की ऑडिट रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखी जा चुकी है। वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 का ऑडिट महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ण किया जा चुका है एवं महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड से प्राप्त Draft Separate Audit Report (DSAR) पर उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अपनी टिप्पणी महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। समिति उक्त की प्रगति से अवगत हुई।

उत्तराखण्ड कैम्पा की बैलेंस शीट के संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि वर्ष 2021–22 तक की बैलेंस शीट महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2022–23 की बैलेंसशीट को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं समिति द्वारा उक्त बैलेंस शीट को अभिग्रहण (Adopt) किया गया।

कार्यसूची 10.12: वर्ष 2024–25 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना।

वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना के निरूपण के संबंध में कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया कि CAF Rules, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना को 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु समय से APO प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अगस्त माह के आरंभ में ही प्रभागों को निर्देश (Guidelines) जारी कर दिये गये थे। सभी प्रभागों

से दिनांक 28 सितंबर, 2023 तक वर्ष 2024–25 की वार्षिक कार्ययोजना प्राप्त होना अपेक्षित है। इस हेतु कैम्पा MIS में भी APO से संबंधित सूचनाएं अपलोड किये जाने की व्यवस्था की गई है। समिति उक्त से अवगत हुई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त पर निर्देश दिये गये कि वार्षिक कार्ययोजना के निरूपण संबंधी प्रभागों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं शीघ्र प्राप्त करते हुए कार्यकारी समिति की अगली बैठक में वर्ष 2024–25 के APO के निरूपण की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

कार्यसूची 10.13: ICFRE द्वारा तैयार डी0पी0आर0 के अनुसार उत्तराखण्ड में यमुना नदी के पुनर्जीवन हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण के स्तर पर उपलब्ध राज्य कैम्पा निधि की 10% निधि के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्रांक 522/26–1 दिनांक 27 मार्च, 2023 के माध्यम से ICFRE द्वारा तैयार डी0पी0आर0 के अनुसार उत्तराखण्ड में यमुना नदी के पुनर्जीवन हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण के स्तर पर उपलब्ध राज्य कैम्पा निधि की 10% निधि के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया था।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव का विस्तृत विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि National Afforestation and Ecological Development Board, NAEB भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में ICFRE द्वारा तैयार 13 नदियों के पुनर्जीवन संबंधी डी0पी0आर0 में उत्तराखण्ड राज्य में बहने वाली यमुना नदी संबंधी उक्त प्रस्ताव भी सम्मिलित है। 05 वर्षों हेतु उक्त योजना की कुल लागत 123.71 करोड़ है, जिसमें प्राकृतिक, कृषि, अर्बन व पेरीअर्बन तथा संरक्षण क्रियाकलापों के अंतर्गत वृक्षारोपण, ए0एन0आर0 व अन्य संरक्षण गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। कार्यकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के लिये उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सहमति दी गई।

कार्यसूची 10.13: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।

10.13.1: कैम्पा के सुचारू संचालन हेतु विषय विशेषज्ञों एवं तकनीकी मैनपावर की आवश्यकता:–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कैम्पा के कार्यों के सुचारू संचालन के उद्देश्य से निम्न विषय विशेषज्ञों की अत्यधिक आवश्यकता है:–

i. **Soil and Water Conservation Expert**	मृदा एवं जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां कैम्पा के अंतर्गत की जाने वाली एक प्रमुख गतिविधि है। उक्त गतिविधियों को प्राकृतिक जल स्रोतों, धाराओं, गधेरों आदि में डिस्चार्ज की निरंतरता के लिये केन्द्रित किये जाने के प्रयासों में किसी तकनीकी विशेषज्ञ यथा hydrologist अथवा water conservation expert की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में फील्ड में Springshed Management के प्रयासों के तहत् प्रभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई विस्तृत तकनीकी रिपोर्टों (DTRs) के परीक्षण, अध्ययन तथा उक्त पर आधारित समावेशी क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु एक मृदा एवं जल संरक्षण विशेषज्ञ की आवश्यकता है।
ii. **Geographic Information System (GIS) Expert & Analyst**	कैम्पा गतिविधियों की जियो–टैगिंग, जी0पी0एस0 व के0एम0एल0 फाईल आदि की अनिवार्यता तथा साथ ही क्रियान्वित गतिविधियों के GIS आधारित अध्ययन व विश्लेषण व प्लानिंग आदि हेतु कैम्पा कार्यालय में एक GIS Expert तथा प्रारम्भ में वृत्त स्तर पर GIS Anaylst की आवश्यकता होगी।

iii. **Project Formulation Expert**	वनों के संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से विभिन्न नवाचारी गतिविधियों पर आधारित योजनाएं तैयार करने, कैम्पा गतिविधियों के प्रभावों के अध्ययन/अभिलेखीकरण, वार्षिक कार्ययोजनाओं निरुपण, विभिन्न गतिविधियों की perspective Planning, रिपोर्टिंग आदि के दृष्टिगत एक Project Formulation Expert की आवश्यकता होगी।
iv. **Monitoring and Evaluation Expert and Surveyor**	कैम्पा के अंतर्गत विभिन्न प्रभागों द्वारा कियान्वित की जा रही गतिविधियों के कियान्वयन के दौरान concurrent monitoring तथा अन्य Periodic Monitoring की लगातार आवश्यकता अनुभव की गई है। इस हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में एक monitoring expert व प्रारम्भ में वृत्त स्तर पर Surveyor केवल कियान्वयन की स्थिति, गुणवत्ता आदि का पता लगाया जा सकेगा अपितु कैम्पा के स्तर से सुधारात्मक कार्यों से संबंधित सुझाव व निर्देश भी प्रभागों को दिये जा सकेंगे।

उक्त पर समयक विचारोपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न विशेषज्ञ सेवाएं लिये जाने के दृष्टिगत Project Management Consultancy (PMC) Firm का Procurement rule में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर लिया जाये जो कि आवश्यकतानुसार निर्धारित समयावधि हेतु उक्त सेवाओं तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभिन्न विशेषज्ञों को उपलब्ध करायेगी। इस हेतु EoI/RFP का आलेख तैयार करा लिया जाये तथा संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर उक्त को प्रकाशित कराया जाये। इस प्रकार चयनित एक ही ऐजेन्सी से आवश्यकतानुसार समस्त विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

10.13.2: अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड राज्य कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों व अधिकारों के संबंध में वर्तमान में स्थिति स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। अपितु कार्यकारी समिति की दिनांक 08.01.2019 को आयोजित बैठक में कार्यकारी समिति द्वारा CAF Act, 2016 की धारा 19(ix) के तहत् वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों/अधिकारों का प्रतिनिधायन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किया गया है। किन्तु कैम्पा के एक प्राधिकरण होने के दृष्टिगत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों/अधिकारों को अधिक स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है द्वारा इन शक्तियों की कहीं पर व्याख्या नहीं की गई है। उक्त पर सर्वसम्मति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों/अधिकारों से का आलेख तैयार कर लिया जाये तथा उक्त पर अध्यक्ष–कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

अंत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यकारी समिति के समस्त सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
एवं अध्यक्ष– कार्यकारी समिति,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी
अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, कार्यकारी
समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 302 /EC(10)13-3 दिनांक, देहरादून, 03 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं (नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण) उत्तराखण्ड ।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, शोध, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
5. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रशासन एवं आसूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
9. अपर सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

संख्या 302 /EC(10)/13·3 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।